

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. जो इस हुकम में जारी है
10/11/17	पत्रावली पेश है, उभयपक्ष उभय प्रकरण में फर्द अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं. पुनः पत्र लिखा जाकर याचना पत्रावली दि. 7/2/17 को पेश हो	अदालत कम मुकदमा तारीख हुकम
7/2/17	पत्रावली प्राप्त है. SDO सा. विभाग में गान है. उभयपक्ष उभय. अब पत्रावली अंतर्गत दि. 14/3/17 को पेश की जायेगी.	
14-3-17	पत्रावली पेश है. उभयपक्ष उभय प्रकरण में फर्द अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं. पुनः पत्र लिखा जाकर याचना पत्रावली दि. 25-4-17 को पेश हो	
25/4/17	पत्रावली पेश हुई. फर्द अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं. तहसीलदार क्षेत्र में जाकर पत्र लिखा जाये. पत्रावली दि. 28/5/2017 को पेश हो.	
8/6/17	पत्रावली आज राज (म. लोक अदालत) के माध्यम से प्राप्त की गयी. लगी. प्रतिवेदन रूप SDO सा. विभाग पर पेश है. पत्रावली अगली लोक अदालत में दि. 30/6/17 को पेश हो	
13/07/2017	पत्रावली लोक अदालत (विक्टर ओपेन्डे) पर पेश की गयी. अदालत में भरीमा व अतिरिक्त शर्तों में उपाहित कार्य, आज उपाहित नहीं आये हैं. अत्याचार द्वारा अदालत अकार्यक्षी. इस वाक्य कादीना का सिद्धि सिद्धा 1/4 का निष्पन्न का आदेश दिया गया था. आज केवल ओपेन्डे में ICR काटया है. अपनी रिपोर्ट के साथ करत जमावती लेखन पर निवेदन किया है कि कार्यवाही अथवा अथवा अथवा दि. 206 अथवा 1-3620 है. अथवा की निष्पन्न करत	मि. अ. कर्मी मदन लाल मि. अ. कर्मी कर्मचारी 20/7/2017

र व तारिख
इस हुक्म में जारी हुए

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

..... बनाम

करम मुकदमा नं. 67/09 सन्

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
- - - - -	<p>बादली थी, किन्तु काशीका धीमी गई और उक्त आरणी के अपना निहित हिस्सा 1/4 अंश का काशीका वाई पार्स में इनलाल, ककली वाई पार्स श्यामलाल धर के विद्युत कर दिया है। पुस्तक न्यायबंदी के भी केलागण म नाम अंकित होकर काशीका का नाम उक्त आरणी के अंकित नहीं है। काशीका के कर्ष के उक्त आरणी विद्युत में नहीं रही है।</p> <p>अतः यह काशीका का क्र. 53/1974-75 का काशीका द्वारा काशीका का निहित हिस्सा 1/4 अंश विद्युत जाके के बाद की कार्यवाही वाली स्टो पर नोप की जाती है। काशीका के लाल सुन्दर धर अंवर के कर होकर काशीका का कर है।</p>	